

उच्च उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
104/10	53, 188 RTA	विशालपुरा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
बाबू लाल	बनाम	रामचरण वर्मा	
वकील :-	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

6-7-10

अभिभाषण जारी द्वारा काद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 RTA विफल कर्जा गण के न्यायाधीश के पास किया गया। रिपोर्ट सहीता का कवलेकन किया गया। प्रकरण दर्ज रखे किया जाये। कर्जा गण को जरिदत समान रखे किया जाकर पत्रावली दिनांक 20-7-10 को प्रेषित है।

1771
13-7-10

20-7-10

पत्रावली प्रेषित हुई। वकील की उच्च जरीदारी नं. 1 गण, एवं 11 गण 15 की कोर्ट है श्री दीपक कुमार वर्मा एस-का वकालतनाम प्रेषित हुआ जरीदारी नं. 16 के समान काद वकील उच्च कावलेकन प्रकरण के उच्च न्यायाधीश के पास उनके डिफेंड एक गण कार्यवाही की जायेगी जरीदारी नं. 8, 9, 10 की रखी है उच्च कोर्ट ही रखना प्रेषित करे। पत्रावली वापस रखी दिनांक 14-9-10 को प्रेषित है।

14-9-10

पत्रावली प्रेषित हुई। अभिभाषण द्वारा पत्रावली वापस रखी दिनांक 9-11-10 को प्रेषित है।

9-11-10

पत्रावली प्रेषित हुई। वकील की उच्च जरीदारी नं. 8, 9 की कोर्ट है श्री दीपक वर्मा द्वारा कवलेकन किया। जरीदारी नं. 10 की रखी है उच्च रखना प्रेषित करे। पत्रावली वापस रखी दिनांक 15-12-10 को प्रेषित है।

6.9.

15-12-10

आज पीठारीन अधिकारी के द्वारा अवकाश पर लेने के कारण पत्रावली प्रेषित दिनांक 2-2-2011

